



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2011/फाल्गुन 6, 1932

No. 98]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2011/PHALGUNA 6, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 110(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 29क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के खंड 7 में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/8/2010-पीआई]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 534(अ), तारीख 05 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 553(अ), तारीख 23 जुलाई, 2008 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2011

G.S.R. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29A read with sub-section (3)

21- GI/2011

of section 9 of the Chartered Accountants Act, 1949, (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Chartered Accountants (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, in clause 7, the second proviso shall be omitted.

[F.No. 2/8/2010-PI]

Dr. T. V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 534(E), dated the 5th September, 2006 and subsequently amended vide G.S.R. 553(E), dated the 23rd July, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 111(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 38क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी सचिव (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1)

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (परिषद् का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी सचिव (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के खंड 7 में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/8/2010-पीआई]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 533(अ), तारीख 5 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 552(अ), तारीख 23 जुलाई, 2008 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2011

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38A read with sub-section (3) of section 9 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Secretaries (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, in clause 7, the second proviso shall be omitted.

[F.No. 2/8/2010-PI]

Dr. T. V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 533(E), dated the 5th September, 2006 and subsequently amended vide G.S.R. 552(E), dated the 23rd July, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 112(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 38क की उप-धारा (1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के खंड 7 में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 2/8/2010-पीआई]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 712(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 554(अ), तारीख 23 जुलाई, 2008 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2011

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38A read with sub-section (3) of section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants (Election to the Council) (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, in clause 7, the second proviso shall be omitted.

[F.No. 2/8/2010-PI]

Dr. T. V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 712(E), dated the 17th November, 2006 and subsequently amended vide number G.S.R. 554(E), dated the 23rd July, 2008.